अध्याय–तीन

विभाग के अन्तर्गत आने वाले निगम, उपक्रम व संस्थाओं का विवरण

1.5 मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम

1.5.1 निगम का गठन

राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, 'प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री: मैन–मेड फॉरेस्ट्स' (1972) के आधार पर रू0 20.00 करोड़ की अधिकृत पूंजी से मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई, 1975 को की गई थी। म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसरण में दिनांक 1 अप्रेल 2001 को मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लि. का विभाजन, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि. एवं म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. के मध्य किया जा चुका है। 31 अक्टूबर 2006 से निगम की अधिकृत अंशपूंजी 40.00 करोड़ तथा प्रदत्त अंशपूंजी रू.39,31,75,600 है, जिसमें से केन्द्र शासन का अंशदान 1,38,60,000 एवं मध्यप्रदेश शासन का अंशदान रू. 37,93,15,600 है।

1.5.2 संचालक मंडल

शासन द्वारा निगम के संचालन हेतु संचालक मंडल का गठन किया गया है जिसमें वर्तमान स्थिति में माननीय अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य 7 संचालक, शासन द्वारा मनोनीत किये गये हैं।

1.5.3 उद्देश्य एवं गतिविधियॉ

निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वनक्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहूमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है। सागौन एवं बांस का व्यावसायिक रोपण निगम की मुख्य गतिविधि है। निगम विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त कर वन विभाग द्वारा हस्तांतरित वन भूमि पर रोपण करता है।

1.5.4 क्षेत्रीय प्रशासनिक संरचना

तालिका क्रमांक 1.46
क्षेत्रीय इकाईयॉ

क्षेत्रीय इकाईयॉ	संख्या	इकाईयॉ
क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक	03	भोपाल, जबलपुर, सिवनी
संभागीय प्रबंधक	11	खंडवा, विदिशा–रायसेन (भोपाल), सीहोर, रीवा–सीधी (सीधी), उमरिया, कुंडम (जबलपुर), मोहगांव (मंडला), लामटा (बालाघाट), बरघाट (सिवनी), छिंदवाड़ा, रामपुर–भतौड़ी (बैतूल)

दिनांक 01.11.2017 की स्थिति में निगम के कुल स्वीकृत अमला 1282 के विरूद्ध कार्यरत संख्या 582 है।

1.5.5 लेखा

वर्ष 2015–16 के निगम के लेखे अद्यतन कर दिनांक 22.03.2017 को विधानसभा पटल पर रखे जा चुके हैं। वर्ष 2016–17 के लेखों का अंतिमिकरण कार्य प्रगति पर है। स्थापना वर्ष से ही निगम निरंतर लाभ

में चल रहा है। वर्ष 2015–16 तक संचित लाभ रू0 295.86 करोड़ है। निगम द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी पर वर्ष 2015–16 तक के लिये राज्य शासन को रू0 6999.18 लाख तथा भारत सरकार को रू0 280.87 लाख लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान किया जा चुका है। निगम द्वारा म.प्र. शासन वन विभाग को प्रारंभ से वर्ष 2015–16 तक का लीजरेंट कुल राशि रूपये 677.25 करोड़ का भुगतान/समायोजन किया गया है।

1.5.6 वृक्षारोपण की उपलब्धियां

निगम द्वारा स्वयं के संसाधनों से विगत 5 वर्षों में किये गये सागौन (वर्षा आधारित) वृक्षारोपण की जानकारी का विवरण **तालिका क्रमांक 1.47** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.47

(क्षेत्रफल हे.मे.)

योजना वर्ष	2013	2014	2015	2016	2017	योग
सागौन रोपण (वर्षा आधारित)	7812	5417	7091	5406	4464	30190

वन विकास निगम द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त बजट से किये गये वृक्षारोपण की स्थिति निम्नानुसार है, इसमें डिपॉजिट वर्क, 12वें एवं 13वें वित्त आयोग तथा कैम्पा आदि भी शामिल हैं:–

तालिका क्रमांक 1.48

(क्षेत्रफल हे में)

योजना	2013	2014	2015	2016	2017	योग
उच्च उत्पादकता सागौन रोपण योजना	–	–	4894	4301	–	9195
13 वें वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त सागौन रोपण योजना	1043	1658	–	–	–	2701
एन.टी.पी.सी. योजना अंतर्गत रोपण	–	–	–	372	298	670
बांस रोपण (निगम के स्त्रोत से)	–	–	10	92	157	259
मिश्रित रोपण (निगम के स्त्रोत से)	–	7	8	–	–	15
कैम्पा से अनुदान प्राप्त सागौन रोपण योजना	3040	2610	–	–	3152	8802
प्रायोगिक नीलगिरी रोपण(निगम के स्त्रोत से)	–	–	101	–	–	101
बांस अधोरोपण (निगम के स्त्रोत से)	–	–	4356	–	–	4356
योग	4083	4275	9369	4765	3607	26099
डिपॉजिट वर्क (पौधों की संख्या लाख में)	6.19	7.26	4.59	6.21	7.56	31.81

1.5.7 वनोपज का उत्पादनः–

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम के अधीन क्षेत्र में भी काष्ठ, बांस एवं जलाऊ का विदोहन किया जाता है। जिसका विवरण **तालिका क्रमांक 1.49** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.49

काष्ठ बॉस उत्पादन (विक्रय) एवं प्राप्त राजस्व

विवरण	वर्ष				
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ईमारती लकड़ी (घन मीटर)	125745	112867	91762	103650.972	105192.936
जलाऊ चट्टे (नग)	151911	124761	94082	98681	95937
बॉस (नो.टन)	5122	6994	4874	3428.803	3139.335
प्राप्त राजस्व (करोड़ रूपये)	213.24	211.77	195.48	238.94	225.80

1.5.8 श्रमिक कल्याणकारी योजनाएं

श्रमिक कल्याणकारी या महिलाओं के लिये पृथक से कोई योजना निगम द्वारा नहीं चलाई जा रही है। परंतु निगम द्वारा संचालित समस्त वानिकी कार्य बिना भेदभाव के महिला एवं पुरूष श्रमिकों द्वारा ही संपन्न किये जाते हैं। निगम का अधिकांश कार्यक्षेत्र आदिवासी बहुल है। निगम की स्थाई रोपणियों में वर्ष भर लगातार कार्य उपलब्ध रहता है, जिसमें अधिकांश महिलाएं कार्यरत हैं। निगम के अन्य वानिकी कार्यों में भी महिलाओं को रोजगार के बराबर अवसर प्रदान किये जाते हैं। इन कार्यों में प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कार्यस्थल पर श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। कम्पनी अधिनियम 1956 (संशोधित कंपनी अधिनियम 2013) के प्रावधानों के अनुसार वनक्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों एवं समीपस्थ ग्रामीणों के लिये निगम के शुद्ध लाभ की 2 प्रतिशत राशि निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) के अन्तर्गत मछली पालन, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिविर आदि कार्यों पर व्यय की जा रही है। सामुदायिक भवन निर्माण, नलकूप खनन, तालाब निर्माण/गहरीकरण कार्यों पर वर्ष 2014–15 में राशि रूपये 138.14 लाख, वर्ष 2015–16 में राशि रूपये 183.56 लाख तथा वर्ष 2016–17 में राशि रूपये 50.75 लाख व्यय की गई है तथा वर्ष 2017–18 में राशि रू. 154.12 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये है।

1.5.9 संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत समितियों को लाभांश वितरण

वन विभाग द्वारा हस्तांतरित निगम के क्षेत्रों में संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत वर्ष 2006–2007 में कुल 80 समितियों को रू 213.12 लाख, वर्ष 2007–2008 में कुल 99 समितियों को रू 382.88 लाख, वर्ष 2008–09 में कुल 120 समितियों को रू 515.77 लाख, वर्ष 2009–10 हेतु कुल 86 समितियों को रू. 460.46 लाख, वर्ष 2010–11 में 101 समितियों को रू. 449.86 लाख, वर्ष 2011–12 में 98 समितियों को रू. 504.06 लाख एवं वर्ष 2012–13 में 72 समितियों को रूपये 537.07 लाख लाभांश की राशि वितरित की जा चुकी है। वर्ष 2013–14 हेतु 87 समितियों के लिये राशि रू. 371.79 लाख वितरित की जा चुकी है। वर्ष 2014–15 के लाभांश की राशि 11 समितियों को रू. 541.34 लाख वितरित की जा चुकी है।

1.6 मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ

वनोपज के संग्रहण एवं व्यापार से वनवासियों को लाभ दिलाने की दृष्टि से वर्ष 1984 में मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम 1960 के अन्तर्गत हुआ। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1988 में लघु वनोपज के संग्रहण, भण्डारण एवं व्यापार से बिचौलियों को पूर्णतः समाप्त करने के लिये वास्तविक संग्रहण कर्ताओं की त्रिस्तरीय सहकारी संस्थाओं का गठन किया गया। प्राथमिक स्तर पर वास्तविक संग्राहकों की सदस्यता से 1071 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां, जिला स्तर पर 60 जिला वनोपज सहकारी संघ तथा शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज

(व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, कार्यरत् है। वनोपज को राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत दो श्रेणियों में बांटा गया है। राष्ट्रीयकृत वनोपज में वर्तमान में मात्र तेन्दूपत्ता एवं कुल्लू गोंद हैं। अराष्ट्रीयकृत वनोपज जैसे हर्रा, बहेड़ा, लाख, अचार, महुआ, शहद, माहुल पत्ता, आंवला एवं औषधीय वनोपजों का संग्रहण विपणन करने की स्वतंत्रता है। मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, राष्ट्रीयकृत वनोपज का संग्रहण एवं व्यापार समितियों के माध्यम से करता है। अराष्ट्रीयकृत वनोपज के संग्रहण, विपणन में समन्वयक की भूमिका निभाता है।

1.6.1 राष्ट्रीयकृत वनोपज

तेंदूपत्ता

विगत तीन वर्षों में संग्रहण एवं निर्वर्तन का विवरण **तालिका क्रमांक 1.50** में दर्शित है:

तालिका क्रमांक 1.50
तेन्दूपत्ता संग्रहण एवं निर्वर्तन

संग्रहण वर्ष	संग्रहण दर (रु. प्रति मा.बो.)	कुल गोदामीकृत मात्रा (लाख मानक बोरा में)	संग्रहण मजदूरी की राशि (करोड़ रूपये में)	अब तक विक्रय की गई मात्रा (लाख मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (करोड़ रूपये में)
1	2	3	4	5	6
2015	950	16.05	152.47	16.05	329.27
2016	1250	18.57	232.07	18.57	627.25
2017	1250	23.37	292.13	23.37	1339.37

1.6.2 अराष्ट्रीयकृत वनोपज

(अ) सालबीज

सालबीज संग्रहण वनवासी परिवारों की आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। म0प्र0 शासन वन विभाग के आदेश क्रं0 एफ–31–1/2011/10–3 दिनांक 25.10.2016 द्वारा सालबीज को अराष्ट्रीयकृत घोषित किया गया है। सालबीज संग्रहण एवं निर्वर्तन का विवरण तालिका क्रमांक 1.51 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.51

साल बीज का संग्रहण एवं निर्वर्तन

संग्रहण वर्ष	संग्रहण दर (प्रति क्विंटल)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	निर्वर्तित मात्रा (क्विंटल में)	प्राप्त विक्रय मूल्य (लाख में)	औसत विक्रय दर (रू.प्रति क्विंटल)
2015	1000.00	11161.72	11161.72	37.71	338.00
2016	1000.00	3966.10	3966.10	29.75	750.00
2017	1000.00	1159.50	कार्रवाई प्रचलित है।		

(ब) अन्य वनोपज

संग्रहित वनोपजों का वन वासियों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के उददेश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6–5/2010/10–3 दिनांक 10.02.2012 एवं म0प्र0 शासन वन विभाग के आदेश कं. F 26-5/2010/10-3 दिनांक 22.04.2017 के तारतम्य में निम्न अराष्ट्रीयकृत वनोपज को न्यूनतम् सर्मथन मूल्य पर क्रय किया जा रहा है। जिसकी जानकारी का विवरण **तालिका क्रमांक –1.52** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.52

अराष्ट्रीयकृत वनोपज का संग्रहण एवं निर्वर्तन

क्र.	वनोपज	संग्रहण वर्ष	संग्रहण मात्रा (क्विंटल में)	निर्धारित समर्थन मूल्य (प्रति क्विंटल रू.में)	विकित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय मूल्य (लाख में)
1	अचार गुठली	2015	-	-	-	-
		2016	-	-	-	-
		2017	96.34	10000	-	-
2	पलास लाख	2015	29.87	10000	-	-
		2016	-	-	-	-
		2017	-	-	-	-
	कुसुम लाख	2015	0.049	12000	-	-
		2016	-	-	-	-
		2017	-	-	-	
3	हर्रा	2015	70.25	1100	-	-
		2016	-	-	-	-
		2017	-	-	-	-
	कचरिया	2015	301.69	2000	-	-
		2016	-	-	-	-
		2017	-	-	-	-

क्र.	वनोपज	संग्रहण वर्ष	संग्रहण मात्रा (क्विंटल में)	निर्धारित समर्थन मूल्य (प्रति क्विंटल रू.में)	विकित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय मूल्य (लाख में)
	बाल हर्रा	2015 2016 2017	- - -	-- - -		
4	महुआफूल	2015 2016 2017	- - 75233	- - 3000	- - -	- - -
5	महुआ गुल्ली	2015 2016 2017	814.83 - 399	900 - 3000	813.78 - -	14.29 - -
6	करंज बीज	2015 2016 2017	68.45 - -	3500 - -	- - -	- - -
7	नीम बीज	2015 2016 2017	10.00 - -	700 - -	10.00 - -	संयंत्र / अनुसंधान को प्रदाय

1.6.3 सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना

लघु वनोपज संघ द्वारा वर्ष 1991 से भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से प्रदेश के समस्त तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना संचालित की जा रही है। जिसके अंतर्गत किसी संग्राहक की सामान्य मृत्यु की दशा में रू. 5000/–, आंशिक विकलांगता की दशा में रू. 12500/–, पूर्ण विकलांगता की दशा में रू. 25000/– तथा दुर्घटना में मृत्यु की दशा में रू 26500/– बीमा धन का भुगतान किया जाता है।

उक्त योजनांतर्गत वर्ष 1991 से अब तक लाभांवित संग्राहकों एवं बीमा क्लेम की जानकारी **तालिका क्रमांक 1.53** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.53
समूह जीवन बीमा योजनान्तर्गत प्रदाय राशि

वित्तीय वर्ष	संग्राहकों के दावेदारों की संख्या	बीमा क्लेम की प्रदाय राशि (रूपए लाख में)
1991 से 2013–14 तक	225339	9168.87
2014-15	3974	316.13
2015-16	2295	178.94
2016-17	3494	216.02
2017-18 (31 जनवरी 2018 की स्थिति में)	2524	176.00
योग	**237626**	**10055.96**

1.6.4 एकलव्य शिक्षा विकास योजना

लघु वनोपज संघ द्वारा ''एकलव्य शिक्षा विकास योजना'' नवंबर 2010 में प्रारंभ की गई है। इस योजना का उददेश्य वनक्षेत्रों में निवास करने वाले तेन्दूपत्ता संग्राहकों के बच्चों की शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना है, जिससे उनके होनहार बच्चे धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाएं। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं शिक्षा का व्यय वनोपज संघ द्वारा वहन किया जाता है। योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं –

(i) प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्राहकों, फड़ मुंशियों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों के पिछली परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक पाने वाले बच्चों को योजना का लाभ लेने की पात्रता है। पात्रता हेतु संग्राहक के लिए यह आवश्यक है कि विगत पांच वर्षों में कम से कम तीन वर्षो में उसके द्वारा न्यूनतम एक मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया हो तथा फड़ मुंशी एवं समिति प्रबंधक द्वारा कम से कम तीन वर्षों में तेन्दूपत्ता सीजन में कार्य किया गया हो।

(ii) योजना में शिक्षण शुल्क, पाठ्य पुस्तकों पर व्यय, छात्रावास व्यय तथा वर्ष में एक बार घर आने–जाने हेतु यात्रा व्यय दिया जाता है, तथा सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा निम्नानुसार होगी–

- कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं के विद्यार्थियों को 12,000 रूपये अधिकतम
- कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं के विद्यार्थियों को 15,000 रूपये अधिकतम
- गैर तकनीकी स्नातक विद्यार्थियों को 20,000 रूपये अधिकतम
- व्यावसायिक कोर्स के विद्यार्थियों को 50,000 रूपये अधिकतम

लाभांन्वित हितग्राहियों की वर्षवार संख्या का विवरण **तालिका क्रमांक 1.54** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.54
योजन अन्तर्गत प्रदाय छात्रवृत्ति

शैक्षणिक सत्र	**लाभांन्वित छात्र/छात्राओं की संख्या**			**योग**	**स्वीकृत राशि (लाख रूपए में)**
	स्कूल शिक्षा	उच्च शिक्षा स्नातक	तकनीकी शिक्षा स्नातक		
2010-11	842	196	23	1061	46.85
2011-12	643	104	42	789	35.28
2012-13	637	114	66	817	50.21
2013-14	527	96	91	714	56.78
2014-15	582	85	81	748	61.70
2015-16	680	100	94	874	82.24
2016-17	1131	194	103	1428	129.85
योग	**5042**	**889**	**500**	**6431**	**462.91**

1.6.5 प्रोत्साहन पारिश्रमिक

संविधान के 73 वें संशोधन के फलस्वरूप लघु वनोपज का स्वामित्व ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। प्रदेश में लघु वनोपज व्यवसाय से ग्रामीणों को उचित लाभ दिलाने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये हैं। लघु वनोपज के अंतर्गत तेन्दूपत्ता के व्यवसाय से होने वाली संपूर्ण शुद्ध आय प्राथमिक सहकारी वनोपज समितियों को उपलब्ध कराई जा रही है। इस व्यवस्था को लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है।

वर्तमान में शुद्ध आय का 70 प्रतिशत भाग संग्राहकों को, उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में नगद भुगतान करने का प्रावधान है। शेष 30 प्रतिशत में से 15 प्रतिशत भाग वनों के पुनरोत्पादन पर लगाया जा रहा है तथा 15 प्रतिशत की अवशेष राशि सहकारी समितियों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनकी माँग अनुसार ग्राम की मूलभूत सुविधाओं के विकास में दी जा रही है।

इस व्यवस्था के अंतर्गत विगत तीन वर्षों की प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि का विवरण **तालिका क्रमांक 1.55** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.55
वितरित प्रोत्साहन पारिश्रमिक

संग्रहण वर्ष	**प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि (रूपये करोड़ में)**
2013	93.14
2014	58.40
2015	71.317
2016	207.68
कुल योग	**430.537**

1.6.6 अन्य योजनाएँ

(i) लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, (एम.एफ.पी.–पार्क) बरखेड़ा पठानी

- **केन्द्र की गतिविधियाँ**

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की प्रसंस्करण इकाई लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी.–पार्क), वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल की स्थापना अकाष्ठीय वनोपज उत्पादों की गुणवत्ता के मानकीकरण एवं औषधियों के उत्पादन के उददेश्य से की गई है । केन्द्र द्वारा "**विन्ध्य हर्बल्स ब्रांड**" के अंतर्गत आयुर्वेदिक एवं हर्बल औषधियों का उत्पादन कार्य विगत 10 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है । इस केन्द्र द्वारा उत्पादित उत्पादों की आपूर्ति देश के विभिन्न राज्यों के आयुष विभागों को की जाती है, तथा प्रदेश में स्थापित संजीवनी केन्द्रों एवं वितरकों के माध्यम से निर्मित उत्पादों के खुदरा विपणन का कार्य किया जाता है ।

गुणवत्ता मानक अनुसार ISO एवं GMP प्रमाण पत्र, पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु EMS-14001 प्रमाणित है। म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ को भारत सरकार के आयुष विभाग द्वारा देश की 8 सरकारी एवं सहकारी संस्थाओं में अधिसूचित किया गया है ।

- **प्रसंस्कृत औषधियों का वर्गीकरण**

वर्तमान में इस केन्द्र की उत्पादन क्षमता 350 प्रकार की विभिन्न क्लासिकल शास्त्रोक्त–265 प्रोपराइटरी एवं पेटेन्टेड–76 एवं वैटरनरी–09 प्रकार आयुर्वेदिक औषधियों के प्रसंस्करण की सुविधाएं उपलब्ध हैं । औषधियों के निर्माण हेतु प्रदेश के वन क्षेत्रों में उपलब्ध वनौषधियों/लघु वनोपजों का क्रय प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से प्राथमिकता से किया जाता है । लघु वनोपज क्रय के माध्यम से वनवासी संग्राहकों तक उचित मूल्य पहुंचाने का कार्य प्रमुखता से किया जाता है ।

- **विभिन्न राज्यों को औषधीय आपूर्ति**

मध्यप्रदेश आयुष विभाग के अलावा आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पांडुचेरी, उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना, असम, अरूणाचल प्रदेश, नई दिल्ली, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर एवं अंडमान एवं निकोबार (18) राज्यों को शासकीय आपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में स्थापित 28 संजीवनी आयुर्वेदिक केन्द्रों एवं विभिन्न जिलों के खुदरा वितरकों, दिल्ली हाट जनकपुरी के माध्यम से खुदरा विपणन का कार्य किया जाता है।

- **राजस्व प्राप्तियां**

बाजार प्रतिस्पर्धा के बाद भी उत्पादन कार्यों एवं राजस्व प्राप्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। संस्था के कुशल संचालन एवं प्रबंधन तथा संघ मुख्यालय के अनुश्रवण का ही परिणाम है कि संस्था लाभप्रद स्थिति में बनी हुई है । यह केन्द्र शासकीय सीमाओं में रहकर आज अन्य शासकीय औषधि निर्माणकर्ता संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहा है । विगत वर्षों एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का का विवरण **तालिका क्रमांक 1.56** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.56
प्राप्त राजस्व एवं शुद्ध आय का वितरण

वित्तीय वर्ष	प्राप्त राजस्व (राशि करोड़ रूपए में)
2012-13	24.58
2013-14	10.86
2014-15	11.31
2015-16	18.41
2016-17	37.23
2017-18 (31 जनवरी 18 की स्थिति में)	17.20

(ii) संजीवनी केन्द्र की स्थापना

औषधीय पौधों एवं प्रसंस्करण केन्द्रों द्वारा उत्पादित औषधियों के विपणन के लिये भोपाल, बालाघाट, पूर्व छिन्दवाड़ा, पश्चिम छिन्दवाड़ा, देवास, शिवपुरी, औबेदुल्लागंज, कटनी, सिवनी, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, रेहटी (सीहोर), होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सतना, बरखेडा पठानी (भोपाल), मैहर, इन्दौर, पन्ना, ग्वालियर, अमरकंटक, कपिलधारा, छतरपुर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा इत्यादि में ''संजीवनी आयुर्वेद'' के नाम से 27 विक्रय केन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं । इन विक्रय केन्द्रों के माध्यम से अर्द्ध तथा पूर्ण प्रसंस्कृत लघुवनोपजों तथा औषधीय उत्पाद आम जनता को विक्रय किया जाता है । विपणन किये जा रहे उत्पादों में आंवला मुरब्बा, अर्जुन चाय, शहद, गोंद, बेल, गुड़मार एवं त्रिफला चूर्ण आदि प्रमुख हैं ।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग एवं मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में प्रति वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय हर्बल वन मेले का आयोजन किया जाता है । इस मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :–

- म.प्र. राज्य में प्रचुर मात्रा में पाये जाने वाले लघु वनोपजों के संबंध में समस्त को अवगत कराना ।
- लघु वनोपजों एवं औषधीय पौधों के संग्राहकों/उत्पादकों को कच्चे माल एवं उत्पादों का बाजार में महत्व से अवगत कराना।
- संग्राहकों, व्यापारियों, निर्यातकों को बाजार से जोड़ना एवं वनोपजों एवं औषधीय पौधों की गुणवत्ता की जानकारी हासिल कराना।
- लघु वनोपजों एवं औषधीय पौधों के साझेदारों के नेटवर्क को सुदृढ़ करना।
- हर्बल क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान एवं अन्य परिकल्पनात्मक गतिविधियों एवं अद्यतन जानकारी से संबंधितों को समय समय पर उपलब्ध कराना।

इस मेले का आयोजन एक वृहद् प्रकार का है जिसमें न केवल म.प्र. स्तर के लघु वनोपजों से जुड़े सहभागी भाग लेते हैं बल्कि अन्य प्रदेशों एवं अन्य देशों के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। संबंधित सभी सहभागियों का मेले में आना एवं उन्हें समस्त आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना एक चुनौती भरा कार्य है जिस हेतु एक पूर्व निर्धारित समय सारणी को योजनाबद्ध प्रकिया से लागू करना आवश्यक होता है।

इस तरह के मेलों का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर 2001 से किया जाता रहा है लेकिन अंतराष्ट्रीय प्रतिभागीयों के आने एवं इस मेले के प्रति उनके उत्साह को देखकर वर्ष 2011 से अंतराष्ट्रीय वन मेले का स्वरूप दिया गया। हर वर्ष की भांति वर्ष 2017 में भी (14 से 20 दिसंबर) अंतराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया गया ।

प्रदेश की जड़ी बूटियों के संग्राहकों को स्पर्धात्मक बाजार मूल्य उपलब्ध करवाने एवं इन जड़ी बूटियों के प्रचार –प्रसार करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में दिनांक 14.12.2017 से 20. 12. 2017 तक भोपाल के लाल परेड मैदान पर अन्तर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया, जिसमें रूपये 94 लाख का विक्रय हुआ।

इस मेले में लघु वनोपज संग्राहकों, व्यापारियों को उनके उत्पादों को एक सुलभ बाजार उपलब्ध कराने हेतु लाल परेड ग्राउड में विभिन्न पंडालों में लगभग 216 स्टॉल निर्मित कर उपलब्ध कराये गये, परंपरागत ज्ञान एवं उपचारकों तथा अनुभविवैद्यों को सुलभ मंच उपलब्ध कराने हेतु इस

मेले में निशुल्क सेवा अंतर्गत 34 स्टॉल लगाये गये जहां आगंतुकों ने अपने बीमारियों से संबंधित वैद्यों एवं जानकारों से निशुल्क परामर्श का लाभ उठाया गया।

लघु वनोपजों के संग्राहकों, कृषकों, व्यापारियों, निर्माताओं को एक मंच उपलब्ध करवाने हेतु केता–विकेता सम्मेलन का आयोजन 18.12.2017 को किया गया।

लघु वनोपजों के संवहनीय विदोहन, प्राथमिक प्रसंस्करण, मूल्य संर्वधन तथा बाजार प्रबंधन से अवगत कराने हेतु संग्राहकों, कृषकों, व्यापारियों, निर्माताओं के लिए दो अर्धदिवसीय (15–16 दिसम्बर) कार्यशाला का आयोजन किया गया । जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर के संगठनों के प्रतिनिधियों एवं विषय विशेषज्ञयों द्वारा अपनी–अपनी प्रस्तुतिया दी गई । इसमें लगभग 108 प्रतिभगियों ने भाग लिया।

(iv) संचित ऋण निधि से 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर राशि का प्रदाय

- **लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु जिला यूनियनों को ऋण उपलब्ध कराना:–**

संचालक मण्डल की 87 वीं बैठक दिनांक .29 06.2010 में निर्णय लिया गया था कि संचित ऋण निधि से लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु जिला यूनियनों को 4 प्रतिशत ब्याज की राशि से ऋण उपलब्ध कराए जाएँ । प्रदेश में लघु वनोपजों तथा औषधीय पौधों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने एवं उनके व्यापार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न जिला यूनियनों को संघ मुख्यालय से ऋण निधि से कम दर के ब्याज (4 प्रतिशत) पर रूपये 614 94 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है ।

- **प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों को मोटर साईकिल क्रय हेतु ऋण प्रदाय करना:–**

दिनांक 16.08.2010 को संचालक मंडल द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को मोटर साईकिल के वास्तविक क्रय मूल्य अथवा रूपये 50,000/– जो भी अधिक हो, के ऋण 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर देने हेतु नियम बनाये गये हैं ।

वर्ष 2015–16 में 11 मोटर साईकिल ऋण के रूप में 07 समिति प्रबंधकों को रूपये 2,99,651/– की राशि विमुक्त की गई।

(v) लाभांश की राशि से कराए जाने वाले कार्य

(1) वन विकास :–

वर्ष 2012–13 से 2015 –16 में तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त लाभांश की राशि से वनों के विकास के अन्तर्गत अंतःस्थलीय एवं बाह्य स्थलीय संरक्षण के वानिकी कार्य स्वीकृत किये गये। विवरण **तालिका क्रमांक 1.57** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.57
वन विकास कार्य

क्रमांक	वर्ष	क्षेत्र हेक्टेयर में	व्यय राशि (रूपए लाख में)
1	2012-13	531.92	203.94
2	2013-14	230.00	338.27
3	2014-15	935 बाह्य स्थलीय 1184 अंतः स्थलीय	737.89 301.61
4	2015-16	285 बाह्य स्थलीय 540 अंतः स्थलीय	117.30 123.80
5	2016-17	100 अंतः स्थलीय	28.00
	योग	1981.92 बाह्य स्थलीय 1824.00 अंतः स्थलीय	1397.40 बाह्य स्थलीय 453.41 अंतः स्थलीय

(2) अद्योसंरचना विकास :–

ग्रामों के अधोसंरचना विकास के कार्य स्वीकृत किये गये, विवरण **तालिका क्रमांक 1.58** में दर्शित हैः

तालिका क्रमांक 1.58
अधोसंरचना विकास कार्य

क्र.	वर्ष	कार्य	राशि (रूपए लाख में)
1	2014-15	रोड, रपटा, स्टॉप डेम, पुलिया, पेयजल व्यवस्था, सामुदायिक भवन, बाउन्ड्री वाल निर्माण, विद्युतीकरण एवं आवास व्यवस्था	1655.08
2	2015-16	रोड, रपटा, पुलिया, बाउन्ड्री वाल निर्माण, स्टॉप डेम, पेयजल व्यवस्था एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	697.48
3	2016-17	रोड, रपटा, पुलिया, बाउन्ड्री वाल निर्माण, स्टॉप डेम, पेयजल व्यवस्था एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	2341.31
		योग	**4693.87**

मध्यप्रदेश के वन क्षेत्रों में संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के प्रसंस्करण आदि हेतु रू. 580 लाख के प्रावधान के विरूद्व रू.500 लाख प्राप्त हुए। जिसमें अभी तक 268.50 लाख व्यय हो चुके है।

1.7 राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, वर्ष 1963 में अस्तित्व में आया। यह संस्थान वन वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, वन पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय प्रभाव, वन्यप्राणी तथा कृषि वानिकी आदि विषयों में शोध एवं तकनीक विकसित कर उनके प्रचार–प्रसार का कार्य करता है। संस्थान के संचालक मंडल में 15 सदस्य हैं। संस्थान में संचालक का पद प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर का है।

मुख्य गतिविधियाँ

वर्ष 2016–17 के दौरान संस्थान की अनुसंधान गतिविधियाँ वन विभाग के क्षेत्रीय स्तर पर वन प्रबंधन में सहयोग प्रदान करने हेतु विभिन्न विषयों पर केन्द्रित रही है। इनमें से कुछ प्रमुख विषय निम्नानुसार हैः–

- प्रदेश के प्राकृतिक गौंद एवं राल उपज देने वाले पौधों संबंधी जानकारी का दस्तावेजीकरण ।
- प्रदेश के मालवा ईको क्षेत्र के स्थानीय आदिवासी और समुदायों के पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण।
- प्रदेश के कूनो–पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के लिये सतत आजीविका आधारित प्रबंधन योजना।
- आर्थिक रूप से महत्तपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के रोगों का एकीकृत प्रबंधन और मृत्युदर के कारणों और औपचारात्मक उपाय का अध्ययन।
- पश्चिमी मध्यप्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन (जी.आई.एम) के तहत ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिये नर्सरी तकनीक, वृक्षारोपण और विकास के आधार पर उपयुक्त प्रजातियों का चयन।
- सरदार सरोवर परियोजना मध्यप्रदेश के आस–पास के क्षेत्रों में वन्यजीवन आवास सुधार की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना ।
- उच्च तकनीक नर्सरी का विकास और प्राकृतिक वन और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण के माध्यम से उनकी बहाली के लिये संकटाग्रस्त एवं लुप्तप्राय प्रजातियों की गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री की तैयारी।
- मदर वेड तकनीक का विकास और नीलगिरी के क्लोनल पौधों का वृहद पैमाने पर गुणन।
- प्रदेश में स्थित नमूना भूखण्डों के रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण और डिजीटाईज़ेशन।
- देशी प्रजातियों के गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री के उत्पादन के लिये बीज और नर्सरी तकनीकों का मानकीकरण।
- मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम के बरघाट तथा लामटा परियोजना की सामाजिक प्रभाव आंकलन, पर्यावरण प्रभाव आकलन, जैव विविधता अध्ययन और उच्च संरक्षण मूल्य वन की पहचान।
- मध्यप्रदेश में लकड़ी की मांग और आपूर्ति का अनुमान।
- मध्यप्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में वन्यप्राणी तथा उनके रहवास की सतत् प्रबंधन एवं विकास हेतु निगरानी एवं अनुश्रवण।
- उन्नत पौध उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण प्रजातियों के बीज एवं नर्सरी तकनीकों का मानकीकरण।
- सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के खाली कराये गये गांवो के क्षेत्रों में वन्यजीव आवास सुधार में प्रबंधन योजना का निर्माण ।
- विद्यमान बांस (D.Strictus) वृक्षारोपण परियोजना में मृदा उपचारण पद्धति की तुलना करने का अध्ययन।

- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सागौन के पेड़ों में मृत्युदर के कारणों का अध्ययन।
- महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों की आयतन उपज तालिका तैयार करना ।
- मध्यप्रदेश के विभिन्न वन मंडलों में सागौन और साल की फार्म कारकों का निर्धारण ।
- धन वृक्षों से जनन द्रव्य की पहचान एवं संग्रह।
- जैव प्रौद्योगिकी तकनीक से संकटापन्न औषधीय पौध प्रजातियों के सक्रीय जैविक तत्वों को ज्ञात कर उनकी वृद्धि की तकनीकों का मानकीकरण।
- पन्ना जिले में पुर्नवास किये गये पारधी जाति के बच्चों का पुर्नवास उपरांत वन्यप्राणी संरक्षण की दृष्टि से मूल्यांकन।
- *Gliricidia sepium* की कटिंग द्वारा रोपण तकनीक का विकास।
- विभिन्न वानिकी प्रजातियों के उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों का एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, परीक्षण, प्रमाणीकरण एवं वितरण।
- मध्यप्रदेश वन विकास अभिकरण द्वारा विभिन्न वन विकास अभिकरणों में वित्तीय वर्ष 2012–13 के वर्षा ऋतु में हुए वृक्षारोपण कार्यों का अनुश्रवण मूल्यांकन।
- मध्यप्रदेश खनिज संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में रेत खनन् क्लस्टर्स के अंतर्गत प्रस्तावित रेत खदानों का पर्यावरणीय मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रभाव प्रबंधन योजना का निर्माण।
- मध्यप्रदेश में वन अधिकार अधिनियम – 2006 लागू होने के उपरांत अनुसूचित जनजाति तथा पारंपरिक वन निवासियों पर प्रभाव का आंकलन।
- होशंगाबाद वनवृत्त में वन्यप्राणियों द्वारा फसलों को हानि पहुँचाने तथा इसके प्रबंधन पर अध्ययन।
- मध्यप्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों एवं बाघ संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन का पर्यावरण, पारिस्थितिकीय एवं सामाजिक आर्थिक पहलू पर प्रभाव पर अध्ययन।

अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति

वर्ष के दौरान संस्थान में चल रहीं अनुसंधान परियोजनाओं में से 14 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया, 49 परियोजनाऐं एवं 15 नियमित गतिविधियां प्रचलित हैं तथा 17 नवीन परियोजनायें प्रारंभ की गई।

अनुश्रवण और मूल्यांकन

संस्थान द्वारा निम्न अनुश्रवण और मूल्यांकन कार्य लिये गये हैं :–

- वन विकास एजेंसियों के जरिए लागू राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम का मूल्यांकन।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों (वन अधिकार अधिनियम की मान्यता) 2006 कार्यान्वयन और मध्यप्रदेश में इसके प्रभाव।
- प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र में वन्यप्राणी तथा उनके रहवास की सतत् प्रबंधन एवं विकास हेतु निगरानी एवं अनुश्रवण।
- लाख के कीटों का आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण हेतु नेटवर्क परियोजना।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान द्वारा निम्नानुसार मुख्य प्रशिक्षण सह कार्यशालाओं का आयोजन किया गयाः–

- म.प्र.के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों को प्रदाय की गई कैमरा ट्रैप, ज़ी पी.एस., रेंज फाईन्डर आदि उपकरणों के उपयोग एवं ऑकडे संग्रहण करने की तकनीक पर पदस्थ क्षेत्रीय अमले का प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- संयुक्त वन प्रबंधन समिति द्वारा अकाष्ठीय वनोपजों का प्राकृतिक वन क्षेत्रो में सतत् विदोहन पद्धति का निर्धारण एवं प्रबंधन तकनीक का प्रशिक्षण।
- विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु पौध जैव प्रौद्योगिकी, टिश्यू कल्चर तथा वन अनुवांशिकी विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- वानिकी अनुसंधान द्वारा विकसित तकनीकों का प्रयोगशाला से जमीनी स्तर पर ले जाने हेतु फील्ड फॉरेस्टर, वन आश्रित समुदायों और संसाधन व्यक्तियों का ज्ञान उन्नयन और कौशल विकास ।
- उमरिया और टीकमगढ़ जिलों में व्युटिया मोनोस्पर्मा के गोंद निकासी तकनीक का स्थानीय लोगों और वन विभाग की अग्रिम पंक्ति के लिये प्रशिक्षण ।
- औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती प्रसंस्करण और विपणन में प्रशिक्षण सह प्रदर्शन कार्यक्रम।
- बीज उद्यानों और बीज उत्पादन क्षेत्रों के रखरखाव में वन विभाग के कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण।

संस्थान द्वारा प्रदत्त सेवाएँ

संस्थान द्वारा विभिन्न अनुसंधान सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं। इनमें से मुख्यतः निम्नानुसार हैः–

- कृषकों, उद्यमियों, छात्रों एवं वन विभागीय अमले को औषधीय पौधों की कृषि तकनीक, उनके प्राथमिक प्रसंस्करण (Primary processing) भंडारण, टिश्यू कल्चर (Tissue culture), बीज तकनीक, वृक्ष सुधार, मृदा परीक्षण, हरबेरियम एवं रोपणी विकसित करने संबंधी प्रशिक्षण।
- वृक्षारोपण एवं कृषि तकनीक।
- अकाष्ठीय वनोपजों के बाजार की जानकारी का प्रचार–प्रसार।
- पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का निर्माण।
- वन संसाधन का आंकलन।
- उत्पादन एवं आयतन तालिका का निर्माण।
- जैवविविधता एवं वनस्पति का मूल्यांकन।
- वन्यजीव तथा काष्ठ के नमूनों का फॉरेन्सिक अध्ययन।
- वन्यजीव प्रबंधन में अनुसंधान तकनीकों द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण हेतु तकनीकी जानकारी।
- विभिन्न कृषि वानिकी पद्धतियों का अध्ययन, सामाजिक आर्थिक विश्लेषण तथा विस्तार।
- बीज प्रमाणीकरण।
- मृदा विश्लेषण।
- उत्तम गुणवत्ता के बीजों एवं रोपण सामग्री का प्रदाय।
- तकनीकी मैन्युअल एवं प्रचार प्रसार हेतु पठन सामग्री इत्यादि तैयार करना।

वर्ष 2017–18 में संस्थान की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

1. मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लि0 द्वारा विभिन्न जिलों में रेत खनन क्लस्टर्स के अन्तर्गत प्रस्तावित 44 रेत खदानों का पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रभाव के शमन के प्रबंधन की परियोजना तैयार कर SEAC/DEAC भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने का कार्य पूर्ण किया गया।

मृदा का पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन

पानी का पर्यावरणीय प्रभाव का प्रबंधन

हवा का पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन

ध्वनि का पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन

2. बीज तकनीक, मृदा परीक्षण एवं पर्यावरणीय प्रभाव के आंकलन हेतु संस्थान की प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण तथा नवीन अनुसंधान उपकरण से सुसज्जित किया गया।
3. डुमना हवाई अड्डा, जबलपुर के परिसर में वन्य प्राणियों की मौजूदगी का आंकलन का कार्य किया गया एवं जंगली जानवरों के शमन का उपायों की तकनीक एवं प्रबंधन पर हवाई अडडा प्रशासन को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ।

4. प्रदेश के कान्हा – पेन्च कॉरीडोर में बाघों की उपस्थिति एवं उनकी गतिविधियों का डी.एन.ए आधारित निगरानी का अध्ययन किया जा कर अनुवांशिकीय तौर पर बाघों की उपस्थिति संख्या एवं लिंग अनुपात वितरण तथा कान्हा एवं पेंच के बाघों की जनसंख्या के कॉरीडोर के महत्व के बारे में अनुसंधान से 83 बाघों एवं 13 तेंदुओं की उपस्थिति जिसमें 11 मादा और 4 नर एवं 4 अज्ञात लिंग की जानकारी पी. आई.डी द्वारा प्राप्त की गई।

5. जबलपुर में स्थित 04 विद्यालयों के लिये म.प्र. ईको टयूरिज्म बोर्ड के द्वारा प्रायोजित अनुभूति कार्यक्रम के तहत 04 पर्यावरण जागरूकता इको शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को मध्यप्रदेश ईको विकास बोर्ड भोपाल के अनुभूति कार्यक्रम के तहत जिसमें लगभग 200 छात्र/छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण में वनों की भूमिका बावत् जानकारी दी गई इसके अन्तर्गत उन्हें संस्थान के संग्रहालय, प्रयोगशालाओं तथा रोपणियों का भ्रमण कराया गया एवं क्लासरूम लेक्चर क्विज . प्रतियोगिता द्वारा पर्यावरण के महत्व पर ज्ञान वर्धन कराया गया। और डुमना नेचर पार्क की अध्ययन यात्रा कराई गई।

अनुभूति कार्यक्रम के तहत विद्यालय के छात्रों का पर्यावरण जागरूकता

1.8 मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 63 (1) के अनुसार राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 दिनांक 17.12.2004 को अधिसूचित किये गये। जिसके अंतर्गत राज्य शासन की अधिसूचना 11 अप्रैल 2005 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन किया गया।

बोर्ड की मुख्य उद्देश्य जैवविविधता का संरक्षण, उसके संघटकों का पोषणीय उपयोग तथा जैविक स्त्रोतों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभ का उचित और साम्यापूर्ण प्रभाजन सुनिश्चित करना है।

बोर्ड का संचालक मण्डल

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 11.04.2005 अनुसार मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड गठित किया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष, पदेन सदस्यगण एवं अशासकीय (राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 24.11.2016 एवं 08.02.2017 अनुसार) सदस्यगणों का विवरण **परिशिष्ट – 17** अनुसार है।

बोर्ड का कोई अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

- **वर्ष 2017–18 की महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ**

1 जैव संसाधनों का संरक्षण एवं संवहनीय उपयोग–

➢ **नर्मदा सेवा यात्रा – नर्मदा सेवा मिशन – जैवविविधता प्रबंधन समितियां** – नर्मदा सेवा मिशन अंतर्गत नर्मदा तटीय क्षेत्र के 16 जिलों में निम्नानुसार गतिविधियां संचालित की जा रही है–

1. नर्मदा सेवा यात्रा– नर्मदा सेवा मिशन अंतर्गत नर्मदा तटीय क्षेत्र के 16 जिलों में जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन एवं सक्रियकरण हेतु जिला जैवविविधता समन्वयक, सहायक जिला जैवविविधता समन्वयक मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण।
2. नर्मदा सेवा यात्रा तथा नर्मदा सेवा मिशन के अंतर्गत नर्मदा क्षेत्र के 16 जिलों में जैवविविधता प्रबंधन समितियों का 235 जैवविविधता प्रबंधन समितियों का सक्रियकरण किया गया।
3. अमरकंटक में दिनांक 15 05.2017 को आयोजित नर्मदा सेवा यात्रा के समापन समारोह में बोर्ड के नेतृत्व में नर्मदा घाटी क्षेत्र की 166 जैवविविधता प्रबंधन समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा प्रतिभागिता की गयी।
4. नर्मदा सेवा मिशन अंतर्गत नर्मदा के तटीय क्षेत्रों की 16 जिलों में गठित 235 जैवविविधता प्रबंधन समितियों के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में 2,33,409 पौधों का रोपण किया गया।

- **मध्यप्रदेश की राज्य मछली महाशीर का कृत्रिम प्रजनन** – बोर्ड द्वारा 2 वर्ष पहले नर्मदा महाशीर के संरक्षण हेतु खरगौन जिले के बड़वाह वनमण्डल में महाशीर संरक्षण हेतु परियोजना स्वीकृत की गयी थी। इस परियोजना में परम्परागत तरीके से मत्स्य पालन की संरचना बनाने की बजाय प्राकृतिक नदी की तरह का वातावरण कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया, जिसमें तालाब का धरातल कच्चा और पथरीला रखा गया तथा पानी का प्रवाह इस प्रकार संचालित किया गया जैसे प्राकृतिक रूप से बहती नदियों का रहता है। इसके साथ ही नर्मदा की सहायक चोरल नदी से पम्प करते हुए ताजा पानी महाशीर प्रजनन तालाब में डालते हुए वापस नदी में मुक्त किया गया। इस तालाब में बड़वाह वनमण्डल के घने वनों से बहकर आते हुए निर्मल नदी नालों से एकत्रित किये गये महाशीर के 954 बच्चे पाले गये जिनके परिपक्व होने पर दिनांक 28.10.2017 को स्ट्रिपिंग की प्रक्रिया से अण्ड़ों के निषेचन से मत्स्य बीज व बच्चे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई।

पक्षियों को रोकने हेतु फेंसिग

वन अमले हेतु जागरूकता कार्यक्रम

- **ताप्ती नदी संरक्षण कार्यक्रम** – बोर्ड द्वारा ताप्ती नदी के कछार क्षेत्र में पारिस्थितिकीय तंत्र को संरक्षित करने हेतु विषय–विशषज्ञों से आवश्यक परामर्श कर ताप्ती नदी पुनर्जीवन कार्य योजना बनाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित की गयी। ताप्ती नदी संरक्षण को मूर्त रूप देने हेतु प्रथम चरण में ताप्ती नदी एवं सहायक नदियों के तटीय क्षेत्रों में 100 जैवविविधता प्रबंधन समितियों के गठन एवं सक्रियकरण का कार्य किया जा रहा है।

ताप्ती कछार क्षेत्र का निरीक्षण करते हुये विषय–विशेषज्ञ

➢ **मध्यप्रदेश जैवविविधता सीख एवं प्रदर्शन केन्द्र (डेमो सेन्टर) की स्थापना** – बोर्ड द्वारा जैवविविधता से संबंधित कृषि विविधता के पारम्परिक बीजों, वानस्पतिक प्रजातियों के संरक्षण तथा जैवविविधता से संबंधित प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन हेतु ''मध्यप्रदेश जैवविविधता सीख एवं प्रदर्शन केन्द्र'' की स्थापना सूरजनगर, भोपाल में की गई।

केन्द्र की स्थापना एवं बीज रोपण कार्यक्रम

➢ **जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित परियोजनायें** – बोर्ड द्वारा जैवविविधता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर शोध एवं दस्तावेजीकरण परियोजना शोध संस्थाओं, महाविद्यालयों एवं अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जाती है। वर्ष 2017–18 में कुल 37 परियोजना संचालित की जा रही है एवं 8 नवीन परियोजनायें स्वीकृत की गयी है।

➢ **मध्यप्रदेश जैवविविधता विरासत स्थल** – जैवविविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 एवं मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 22 में जैवविविधता बाहुल्य क्षेत्रों को जैवविविधता विरासत स्थल घोषित करने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत बोर्ड द्वारा निम्नानुसार जैवविविधता बाहुल्य क्षेत्रों को जैवविविधता विरासत स्थलके रूप मेंघोषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है –

1. पातालकोट, जिला छिंदवाड़ा
2. नरो पहाड़, जिला सतना

➢ **लोक जैवविविधता पंजी** – इस दस्तावेज में पंचायत में विद्यमान सभी जैव संसाधनों, स्थानीय संस्कृति, बाजार इत्यादि की जानकारी होती है, जो कि जैवविविधता प्रबंधन समिति एवं मास्टर ट्रेनर्स के सहयोग से बनाई जाती है। इसके अंतर्गत बोर्ड द्वारा 890 लोक जैवविविधता पंजियॉ तैयार की गई है।

➢ **मध्यप्रदेश जैवविविधता एटलस** – मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के सहयोग से मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् द्वारा सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिले के जैव संसाधनों पर आधारित मध्यप्रदेश जैवविविधता एटलस एवं जी.आई.एस. आधारित वेबपोर्टल का निर्माण किया गया है।

- **प्रशिक्षण एवं जागरुकता** – जन मानस में जैवविविधता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से वर्ष 2017–18 में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनका विवरण **तालिका क्रमांक 1.59** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.59
जैव विविधता प्रशिक्षण एवं जागरूकता

क्र.	कार्यक्रम	उद्देश्य	लाभान्वित वर्ग
अ. प्रशिक्षण एवं कार्यशाला			
1.	"जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन" विषयक एक दिवसीय प्रशिक्षण	वन विभाग के मैदानी अमले को जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन तथा जागरूकता हेतु	दिनांक 13.04.2017 को शहडोल वन वृत्त के वन अधिकारी प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए।
2.	"जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन" विषयक एक दिवसीय प्रशिक्षण	जैवविविधता तकनीकी समर्थन समूह, जबलपुर	दिनांक 12 एवं 13 अप्रैल 2017 को जबलपुर संभाग के तकनीकी समर्थन समूह के पदाधिकारियों हेतु प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।
ब. जागरूकता कार्यक्रम			
1. 3.	अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस (दि 22 मई 2017)	जैवविविधता—संवहनीय पर्यटन" (Biodiversity and Sustainable Tourism) विषयवस्तु पर प्रदेश के सभी जिलों में जैवविविधता दिवस पर (गोष्ठी, सेमीनार एवं कार्यशाला आयोजन हेतु सहायता।)	1. राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन प्रशासन अकादमी, भोपाल 2. प्रदेश के सभी संभाग, जिलों एवं 235 सक्रिय जैवविविधता प्रबंधन समिति स्तर पर मनाया गया। 3. शहरी नागरिकों हेतु भोपाल स्थित समस्त मॉल में जागरूकता कार्यक्रम
		नेचर कैंप	भोपाल के आस—पास के पर्यटन क्षेत्रों केरवा, कलियासोत, बड़ा तालाब एवं वन विहार में जैवविविधता तथा पर्यटन बढ़ावा देने हेतु जैवविविधता प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम व पर्यावरण जागरूकता कैंप तथा प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 20 एवं 21 मई 2017 को किया गया।
2.	मोगली उत्सव 2017	स्कूली छात्र—छात्राओं में जैवविविधता जागरूकता हेतु।	दिनांक 17—18 नवम्बर 2017 को राष्ट्रीय उद्यान कान्हा एवं माधव तथा 27—28 नवम्बर को राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ एवं राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा (मढ़ई) में मोगली उत्सव 2017 का आयोजन किया गया। जिसमें 204 छात्र—छात्राओं ने भाग लिया।

3.	साइन्स एक्सप्रेस – ''क्लाइमेट एक्शन स्पेशल ।।''	स्कूली छात्र–छात्राओं में जैवविविधता जागरूकता हेतु	प्रदेश के आमला–(बैतूल) में हबीबगंज में बीना एवं खजुराहो में प्रदर्शनी लगाई गयी, जिसमें 57948 प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया।
4.	पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन	जैवविविधता/पर्यावरण से जुड़े विधिक अधिकारियों, अधिवक्ता एवं छात्र–छात्राओं हेतु	मान. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड एक प्रायोजक रहा। सम्मेलन में जारी किये गये भोपाल घोषण पत्र जैवविविधता संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्यों व रणनीति सम्मिलित किये गये।
5.	मीडिया कार्यशाला	जागरूकता हेतु	प्रेस प्रतिनिधियों तथा जैवविविधता संरक्षण/ पर्यावरण विषयों पर भोपाल स्थित अशासकीय संस्था/ व्यक्तियों हेतु दिनांक 17 एवं 18 मई 2017 को जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।
6.	रेडियो के माध्यम से प्रचार –प्रसार	आम नागरिकों हेतु आकाशवाणी से ''नीम की छांव''कार्यक्रमों का प्रसारण।	प्रदेश के सभी जिलों में प्रसारण।
7.	प्रकाशन एवं लघु फिल्म	''जैवविविधता'' न्यूज लेटर, जैवविविधता विषयक साहित्य, लघु फिल्म इत्यादि का प्रकाशन	छात्र–छात्राओं, जैव विविधता समिति सदस्यों एवं मैदानी अमले हेतु प्रकाशन।
8..	वन्य प्राणी सप्ताह	छात्र–छात्राओं में जागरूकता हेतु	वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर वन विभाग एवं रीजनल सांइस सेन्टर द्वारा स्कूली छात्र–छात्राओं में वन्य प्राणी के प्रति जागरूकता हेतु आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभागिता।
9.	Greening of Young minds Campaign	महाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं में जागरूकता हेतु	भोपाल के महाविद्यालयों – IIFM, NLIU, IES College, RKDF College, SRK University में जैवविविधता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम तथा नेचर कैंप में उपस्थिति प्रतिभागी

साईन्स एक्सप्रेस ट्रेन प्रदर्शनी में उपस्थित प्रतिभागी छात्र–छात्राऍ

- **जैव संसाधनों और ज्ञान से उद्भूत लाभ का साम्यपूर्ण प्रभाजन**

जैवविविधता अधिनियम, 2002 एवं विनियम, 2014 तथा नियम, 2004 के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश के जैव संसाधनों का व्यापारिक (वाणिज्यिक) उपयोग करने वाले समस्त विदेशी व्यापारी व निर्माताओं को अधिनियम की धारा 3–6 तथा भारतीय व्यापारी व निर्माताओं को धारा 7 के अंतर्गत क्रमशः राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एन.बी.ए.) तथा मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड (एम.पी.एस.बी.बी.) से अनुमति लेना अनिवार्य है। इस हेतु बोर्ड द्वारा निम्न गतिविधियॉ संचालित की जाती हैः–

1. भारतीय व्यापारी व निर्माताओं में जैव संसाधनों का व्यापारिक (वाणिज्यिक) उपयोग करने के संबंध में जागरूकता हेतु समाचार पत्रों में सूचना पत्र का प्रकाशन।
2. जैवविविधता के व्यापारिक उपयोग करने वाले व्यापारियों के साथ लाभ प्रभाजन के संबंध व्यापारियों एवं जन प्रतिनिधियों के साथ श्योपुर (05.06.2017) तथा इन्दौर (17.07.2017) में एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इसके साथ ही जिला श्योपुर के व्यापारियों हेतु दो दिवसीय परामर्श शिविर का आयोजन किया गया।
3. **Operation M.P. Bio 2017 -** अवैध रूप से सलई गोंद के वाणिज्यक उपयोग हेतु परिवहन करने पर काला अम्ब (हिमाचल प्रदेश) में स्थित 'कोनार्क हर्बल एण्ड हेल्थ केयर' संस्था के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण दिनांक 09.05.2017 दर्ज करते हुए संबंधित मुलजिम को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यह कार्यवाही हिमाचल प्रदेश एवं मध्यप्रदेश राज्यजैवविविधता बोर्ड एवं मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड एवं मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की गई साथ ही

हिमाचल प्रदेश जैवविविधता बोर्ड एवं वन विभाग से लगभग 50 लोगों के दल द्वारा 'कोनार्क हर्बल एण्ड हेल्थ केयर' कंपनी के परिसर में लगातार 5 दिनों तक तलासी अभियान चलाया गया।

4. जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 7 एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 17 के अन्तर्गत बोर्ड को कुल 189 आवेदन फार्म –1 में प्राप्त हुए, जिस पर बोर्ड द्वारा आगामी कार्यवाही की जा रही है।

बजट प्रावधान

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को वित्त वर्ष 2017–18 में निम्नानुसार बजट अनुदान राज्य शासन से प्राप्त हुआ है:–

क्र.	बजट शीर्ष	प्राप्त राशि	व्यय राशि (दि. 30.11.17)
1.	7672–जैवविविधता एवं जैवप्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं का पोषण	61.00 लाख	80.00 लाख
2.	7856 – जैवविविधता बोर्ड से संबंधित व्यय	270.27 लाख	270.27 लाख
	योग	**331.87 लाख**	**331.87 लाख**

नोटः– बोर्ड द्वारा जैवविविधता प्रबंधन समितियों को यात्रा एवं मिशन से संबंधित कार्यक्रम में जोड़ते हुए नर्मदा घाटी में किये गये कार्यों हेतु अधिक व्यय (पूर्व वर्षों की बचत एवं राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण से) किया गया। इस हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है।

1.9 मध्य प्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड

- मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड म.प्र.शासन के वन विभाग के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था है, जिसका गठन 12.07.2005 को म.प्र.सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया था। बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की वन नीति 2005 की कंडिका 3.16 ईकोपर्यटन नीति निर्देशों के अनुसार ईकोपर्यटन गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है।

- म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य शासन के बजट मद 5830 से अनुदान, राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों की विकास निधि से 10 प्रतिशत राशि, म.प्र.राज्य वन विकास निगम, म.प्र.राज्य लघुवनोपज संघ, कैम्पा एवं अन्य स्त्रोतों से वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं।

वर्ष 2017–18 मे दिनांक 31.11.2017 तक विभिन्न स्त्रोतों से बोर्ड को निम्नानुसार वित्तीय संसाधन प्राप्त हुए हैं :–

अनु.क्र	स्त्रोत	प्राप्त राशि (रू. लाख में)
1.	राज्य शासन से बजट मद 5830 से अनुदान	630.00
2.	राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों की विकास निधि से प्राप्त राशि	138.96
3.	अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राशि	88.39
	योग :–	**857.35**

- बोर्ड की प्रमुख गतिविधियॉं निम्नानुसार हैं :–
    - अ. ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों का विकास
    - ब. टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में ईकोपर्यटन विकास
    - स. जागरूकता कार्यक्रम
    - द. क्षमता विकास

अ. ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों का विकास : म.प्र.राज्य द्वारा ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों के विकास हेतु अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2016 द्वारा म.प्र.वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 अधिसूचित किये गये हैं। इन नियमों का प्रमुख उद्देश्य आरक्षित वनों में ईकोपर्यटन की संभावनाओं वाले वन क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें मनोरंजन क्षेत्र/वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाना है, ताकि क्रमबद्ध रूप से इन क्षेत्रों में ईकोपर्यटन की आधारभूत संरचनायें विकसित की जा सकें। उक्त नियमों की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त अभी तक 144 क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 99 क्षेत्र मनोरंजन क्षेत्र के रूप में तथा 13 क्षेत्र वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र के रूप में अधिसूचित भी किये जा चुके हैं। उक्त अधिसूचित क्षेत्रों में से 45 क्षेत्रों हेतु ईकोपर्यटन विकास की योजना भी स्वीकृत की जा चुकी है। रायसेन जिले में प्रदेश का प्रथम तितली पार्क स्थापित किया गया है।

तितली पार्क, गोपालपुर, रायसेन

ब. टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में ईकोपर्यटन विकास : म.प्र. राज्य के टाईगर रिजर्व पर्यटकों के लिये आकर्षण के केन्द्र हैं। राज्य के सभी 6 टाईगर रिजर्व में बफर क्षेत्र अधिसूचित किये जा चुके हैं। टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में पर्यटन के दबाव को कम करने की दृष्टि से इनके बफर क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। बोर्ड द्वारा प्रदेश के टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में ईकोपर्यटन गतिविधि प्रारम्भ की गई है। पर्यटक बफर क्षेत्र में प्राकृतिक स्थलों, वन तथा वन्यप्राणी दर्शन एवं व्याख्या के साथ–साथ विभिन्न ईकोपर्यटन गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। बफर क्षेत्रों में ईकोपर्यटन विकसित होने से पर्यटकों को सफारी भ्रमण, ट्रेकिंग, वन दर्शन, पक्षी दर्शन, कैम्पिंग आदि के अद्वितीय अवसर प्राप्त हो सकेंगे। वर्ष अक्टूबर 2016 से सितम्बर 2017 तक लगभग 75,000 से अधिक पर्यटकों के द्वारा बाधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच कान्हा, संजय एवं पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में भ्रमण किया गया ।

स. जागरूकता कार्यक्रम : वन, वन्यप्राणी एवं पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता दर्शाने एवं इस संदेश के समाज में प्रचार–प्रसार हेतु बोर्ड द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। जन सामान्य में वन एवं वन्यप्राणी तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित करने के संदेश के प्रसार हेतु स्कूली विद्यार्थी प्रभावशाली संवाहक हैं। इसे ध्यान में रखते हुये वन विभाग द्वारा म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष ''अनुभूति कार्यक्रम'' आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 5 से

11वीं तक के स्कूली विद्यार्थियों को प्रकृति का व्यवहारिक अनुभव प्रदान कराने हेतु एक दिवसीय कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। इस कैम्प मे विद्यार्थियों को स्थानीय प्राकृतिक सौंदर्य के स्थलों में वन भ्रमण, नेचर ट्रेल भ्रमण एवं अन्य गतिविधियॉ आयोजित कर पारिस्थितिकी के घटकों की व्याख्या, पर्यावरण सरंक्षण, जैव विविधिता, पक्षी दर्शन, वन औषधी एवं वन प्रबंधन की सामान्य जानकारी एवं अनुभव प्रदान किया जा रहा है।

यह कार्यक्रम पूर्व में जिला स्तर पर आयोजित किया जाता था। इसकी उपयोगिता को देखते हुये, गत वर्ष से इस कार्यक्रम को वृहद रूप देते हुये जिला स्तर के स्थान पर परिक्षेत्र स्तर पर आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिससे जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों के ज्यादातर शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकेंगे। इस प्रकार सुदूर आदिवासी अंचल के वन समितियों से जुड़े क्षेत्रों के विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे। गत वर्ष इस कार्यक्रम का राज्य के 1938 विद्यालयों के 53935 विद्यार्थियों द्वारा लाभ उठाया गया। इस वर्ष क्षेत्रीय वनपरिक्षेत्रों के साथ– साथ राष्ट्रीय उद्यान, बफर क्षेत्र एवं अभ्यारण्य के परिक्षेत्रों को भी कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। तदनुसार प्रत्येक परिक्षेत्र हेतु 225 स्कूली विद्यार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2017–18 में यह कार्यक्रम प्रदेश में 15 दिसम्बर 2017 से 15 जनवरी 2018 की अवधि में आयोजित किया जा रहा है जिसमें स्कूली विद्यार्थियों द्वारा उत्साहपूर्ण भाग लिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इस वर्ष प्रदेश के कुल 450 परिक्षेत्रों के कुल 1,00,000 से अधिक छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

द. क्षमता विकास : ईकोपर्यटन गतिविधियों का मूल उद्देश्य ईकोपर्यटन से स्थानीय समुदाय की आजीविका के अवसर विकसित करना भी है, जिसे ध्यान में रखते हुये स्थानीय नागरिकों को गाईड प्रशिक्षण, नाविक प्रशिक्षण, खानसामा प्रशिक्षण, कैम्प प्रबंधन प्रशिक्षण आदि के अंतर्गत अब तक लगभग 924 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

1.10 मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन

बांस की उपयोगिता को देखते हुये राज्य बांस मिशन का गठन एक समिति के रूप में म.प्र. सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दिनांक 15.07.2013 को मुख्य रूप से राष्ट्रीय बांस मिशन, कृषि मंत्रालय, केन्द्र शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु किया गया । इसी के साथ प्रदेश में बांस शिल्पियों के मामलों पर सलाह देने हेतु मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन के अंतर्गत 'मध्यप्रदेश बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड' का गठन किया गया। बांस उत्पादन, बांस आधारित उत्पादों के निर्माण तथा इस क्षेत्र में उच्च तकनीकि मशीनीकृत कार्यशैली के क्षेत्र में अनुसंधान व विकास कार्य हेतु राज्य स्तरीय भावी योजना तथा वार्षिक योजना को तैयार करना, योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन प्राधिकरण, राज्य शासन तथा अन्य स्त्रोंतो से राशि प्राप्त करना तथा अधीनस्थ संस्थाओं/कार्यालयों को राशि जारी कर योजना को क्रियान्वित कराना मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं। मिशन की भूमिका बांस सेक्टर के विकास के लिये पर्यवेक्षण एवं निगरानी (Supervision and Monitoring) की है। अतः क्षेत्रीय स्तर पर मिशन की कोई शाखा नही है। मिशन द्वारा समस्त कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन क्षेत्रीय वनमंडलों में गठित वन विकास अभिकरणों के माध्यम से किया जाता है। बांस प्रबंधन से संबंधित कार्य वन विभाग द्वारा पृथक से भी किया जाता है।

राज्य बांस मिशन की साधारण सभा के अध्यक्ष म.प्र. शासन के वनमंत्री हैं तथा मिशन संचालक सदस्य सचिव है। मिशन की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव वन तथा मिशन संचालक, सदस्य सचिव है। वर्तमान में अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक स्तर के अधिकारी मिशन संचालक है।

राज्य बांस मिशन द्वारा संचालित कार्यक्रम –

- व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बांस प्रजातियों का विकास एवं बांस की उन्नत किस्मों का उत्पादन तथा बांस कृषि पद्धति का विस्तार
  - ➢ बांस की विभिन्न प्रजातियों के उन्नत जर्मोप्लाज्म की पहचान कर प्रदेश की 3 शासकीय तथा मिशन से संबंध 2 निजी बायो टेक्नोलॉजी लेब तथा काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलोर के द्वारा टिशु कल्चर पौधे तैयार करने हेतु कुल 16 बांस प्रजातियों के प्रोटोकाल व कल्चर तैयार कर लिये गये है तथा इस वर्ष 05 बांस प्रजातियों के पौधो का वृहद स्तर पर व्यापारिक उत्पादन भी किय गया ।
  - ➢ टिशु कल्चर पौधों को विकेन्द्रीकृत बांस रोपणियों के माध्यम से प्रदेश के वन क्षेत्रों एवं कृषकों को रोपण के लिये उपलब्ध कराना। वर्ष 2016 में इन विकेन्द्रीकृत रोपिणयों के माध्यम से 15,41,000 तथा वर्ष 2017 में 16,53,350 बांस की विभिन्न प्रजातियों के पौधों को रोपण हेतु उपलब्ध कराया गया।
  - ➢ प्रदेश के समस्त 11 एग्रोक्लाइमेटिक जोन मे बांस की विभिन्न प्रजातियों की फील्ड ट्रायल हेतु बेम्बूसेटम की स्थापना की गई है।
  - ➢ फील्ड ट्रायल में सफल बांस प्रजाति (बेम्बूसा बालकुंआ) के कृषि भूमि पर 21 प्रदर्शन प्लॉट तथा वन क्षेत्रो में म.प्र. वन विकास निगम के सहयोग से 11 प्रदर्शन प्लॉट स्थापित किये गये। इसके साथ ही वनमंडल स्तर पर स्थानीय कृषकों को बांस कृषि पद्धति में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
  - ➢ वर्ष 2016 में कृषि भूमि पर प्रदेश के 27 वनमंडलों के अंतर्गत 16 लाख बांस के पौधो का रोपण किया गया।
- शिल्पकारों का कौशल उन्नयन एवं नवीन बांस उत्पादो का डिजाईन प्रशिक्षण निर्माण एवं विपणन।
  - ➢ प्रदेश के परम्परागत् बांस शिल्पकारों को नवीन बांस उत्पादों के डिजाईन एवं निर्माण हेतु वर्ष

2016–17 में राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान, अहमदाबाद से करारनामा (MoU) कर त्री–स्तरीय कौशल उन्नयन प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

- प्रथम स्तर का प्रशिक्षण (Orientation Phase) 7 स्थानों में 284 शिल्पकारों को प्रशिक्षित किया गया। द्वितीय स्तर (Design Phase) के 15 दिवसीय प्रशिक्षण में 34 शिल्पकारों को प्रशिक्षित किया गया तथा तृतीय स्तर (Production Phase) के 10 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कर प्रशिक्षित किया गया।
- इसके अतिरिक्त प्रदेश भर में 8 स्थलों पर 321 शिल्पकारों को बांस उत्पाद निर्माण हेतु प्रशिक्षित किया गया है।

- सामान्य सुविधा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण – बांस उत्पाद निर्माण को सुचारू बनाने एवं विपणन को सुलभ बनाने हेतु प्रदेश के 5 सामान्य सुविधा केन्द्रों (CFC) पर बांस उत्पाद निर्माण में उपयोगी नवीन औजार, मशीने तथा उपकरण उपलब्ध कराकर उनका सुदृढ़ीकरण किया गया। इन केन्द्रों पर विषय विशेषज्ञों के द्वारा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण भी आयोजित किये गये।
- बांस उत्पादों का विपणन –

  शिल्पकारों एवं सामान्य सुविधा केन्द्रों एवं (CFC) द्वारा निर्मित बांस उत्पादों के विपणन हेतु प्रदेश में 6 स्थलों पर बांस एम्पोरियम स्थापित कर उनको सामान्य सुविधा केन्द्रों से संबद्ध किया गया।
- बांस से जुड़े संस्थानों से समन्वय तथा बांस उत्पादों के विकास पर अनुसंधान।
  - बांस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु म.प्र. लघुवनोपज संघ, म.प्र. वन विकास निगम, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलोर से समन्वय किया गया।
  - बांस उत्पाद निर्माण एवं कौशल उन्नयन हेतु राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान (NID), बेम्बू एण्ड केन डेवलेपमेंट इन्स्टीट्यूट (BCDI), भास्कर फाउण्डेशन तथा म.प्र.विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MPCoST) से समन्वय किया गया।

- **वित्तीय उपलब्धियाँ –**

तीन वर्षों की तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है:–

(राशि रू. लाख में)

क्र.	योजना का नाम केन्द्र प्रवर्तित	वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18	
1.	योजना क्रमांक 7458 राज्य बांस मिशन 42 सहायक अनुदान 007 अन्य	1634.75	1634.75	1180.00	1180.00	51.39	51.39
	योग	**1634.75**	**1634.75**	**1180.00**	**1180.00**	**51.39**	**51.39**